मेरठ विकास प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.06 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 75वीं बोर्डबैठक दिनांक 24.03.06 को आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में प्रातः 10.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे –

1–	श्री मोहिन्दर सिंह आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2–	श्री रामकृष्ण जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष मे0वि0प्रा0, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3–	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद। (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
4–	श्री राजेन्द्र प्रसाद, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5–	श्री के0एम0 लाल महाप्रबन्धक, जिला– उद्योग, मेरठ।	सदस्य।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

७५ वीं बोर्ड बैठक
दिनांक २४.०३.२००६

का

कार्यवृत्त

6–	श्री कृपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ।	सदस्य
7–	श्री ज्ञानसिंह, अपर निदेशक–कोषागार एवं पेंशन,	सदस्य
8–	श्री ए0के0 जैन, उप महाप्रबन्धक, विद्युत (नगरीय)	सदस्य
9–	श्री आर0के0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
10–	श्री ए0के0 त्यागी, (प्रतिनिधि–आयुक्त एन0सी0आर0) गाजियाबाद।	सदस्य
11–	श्री राजपाल कौशिक, सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उत्तर प्रदेश)	सदस्य
12–	श्री श्रीनिवास जोगी, शासन द्वारा नामित।	सदस्य
13–	श्री सतीश कुमार, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद संख्या–1

प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.01.06 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.01.06 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में पूर्व मा0 सदस्य श्री अब्बास एडवोकेट द्वारा आपत्ति की गई थी कि उनके नाम से पहले "श्री" नहीं लगाया। जिस पर मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में प्रत्येक मा0 सदस्य के नाम से पहले "श्री" लगाया जाये।

मद संख्या–2

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या पर विचार।

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या पर अध्यक्ष द्वारा समय से रिपोर्ट न जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा अनुपालन आख्या से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया, विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

1– प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित रिक्त पड़े भवनों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों से खाली कराया जाना– सचिव, एम0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नगर योजना के अन्तर्गत समस्त भवनों को अवैध कब्जे से खाली करा लिया गया है। बोर्ड द्वारा आदेशित किया गया कि विकास प्राधिकरण की जिन योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त पड़े भवनों में अवैध रूप से जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उनसे भी शीघ्र भवन खाली कराये जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

बोर्ड द्वारा शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जोनल अधिकारी अपने–अपने जोने से सम्बन्धित अवैध निर्माणों को ए, बी एवं सी श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार सूची तैयार करे। ए श्रेणी में बड़े कॉम्पलैक्सों को रखा जाये, बी श्रेणी में मध्य श्रेणी के अवैध निर्माणों को रखा जाये तथा सी श्रेणी में निम्न श्रेणी के निर्माणों को रखा जाये। शमनीय अवैध निर्माणों को नियमानुसार शमन करने की कार्यवाही की जाये तथा अशमनीय अवैध निर्माणों को सील करने पर ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही की जाये। उपरोक्तानुसार तैयार सूची को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि मानचित्र स्वीकृति एवं निर्माण को शमन करने के दौरान किसी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाये। उक्त कार्य के सम्पादन में पारदर्शिता अपनायी जाये।

मा0बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहे हैं जिनको रोकने के लिये एक प्लानिंग तैयार की जाये जिसमें शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर उनकी राय ली जाये एवं उनसे सहयोग लेने हेतु सम्पर्क किया जाये। अवैध निर्माणों को शमन कराने हेतु जोनवार/सेक्टरवार विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। इसके बाद भी यदि कोई अवैध निर्माणकर्ता शमन कराने हेतु कार्यवाही नहीं करता तो नियमानुसार सील/ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

मा0 बोर्ड द्वारा अवैध निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस बल का उपलब्ध न होने की बात पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा इसे प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों का एक बहाना मात्र बताया गया। एस0एस0पी0 द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर पुलिस पहुँच जाती है, परन्तु प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचते हैं। बोर्ड द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न होने हेतु चेतावनी दी गयी।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्राधिकरण की योजनाओं में अर्जित भूमि के नक्शा–11 विवरण पत्र को 51 सूत्रीय प्रारूप पर फीड करने की अनुपालन आख्या का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान अवगत कराया गया कि केवल ग्राम कंचनपुर घोपला का डाटा एन्ट्री नहीं हो पाया है, उसे भी तुरन्त कराने को निर्देशित किया गया।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण को जो सीलिंग भूमि कब्जे में प्राप्त हो चुकी है, उसका नियोजन तत्काल किया जाये। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये अर्जित भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता एवं वित्त नियन्त्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल कितनी भूमि नियोजित की गयी तथा कितनी भूमि अभी अनियोजित है, कितनी भूमि विकसित की गई तथा कितनी भूमि पर विकास होना शेष है तथा योजनावार कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी आय हुई है।

2– गंगानगर विस्तार योजना की 204.912 एकड़ भूमि बल्क में विक्रय किये जाने विषयक– मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन–जिन मामलों में स्टे वैकेशन कराने हेतु श्री अनुराग खन्ना, एडवोकेट को "एंगेज" किया गया है, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के उक्त अधिवक्ता द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, से अवगत कराया जाये। मा0 बोर्ड ने अप्रसन्नता व्यक्त की कि प्रश्नगत स्थगन आदेशों को अभी तक समाप्त क्यों नहीं कराया गया है तथा जानना चाहा कि इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है।

3– बिल्डरों के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन इत्यादि के सम्बन्ध में जो प्राधिकरण स्तर पर समिति गठित की गयी है, उसमें अभी तक क्या प्रगति है, आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

4-- मोला झाल के सम्बन्ध में अलग से बैठक कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

5-- आगामी बोर्ड बैठक में सभी योजनाओं के ''ले-आउट'' उपलब्ध कराये जायें।

6-- दौराला मास्टर प्लान के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक नियमानुसार कार्यवाही बिना और विलम्ब के सुनिश्चित करेगें।

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक के प्रस्तावों पर विचार

मद सं0-3

वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट पर आख्या।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2006-07 का सम्पूर्ण बजट तैयार किया जाये, जिसमें वित्तीय वर्ष 2005-06 की उपलब्धियां भी दर्शायी जाये। बजट के मामले में शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संज्ञान लेते हुये, 30 अप्रैल से पहले ही पास करा लिया जाना चाहिये।

मद सं0-4

विकास प्राधिकरण की योजनाओं में पैरीफेरियल डेवलपमेन्ट/विकास शुल्क के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अ0शा0 प0 सं0-1149/8-3-06, दिनांक 23 मार्च, 2006 के अनुसार अपना मत प्रस्तुत किया गया है कि ''विकास शुल्क के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव आवास बन्धु द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

है, जिस पर कदाचित मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित होता। अतः प्रस्ताव पर सहमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

मद सं0–5

ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, परगना दौराला, तहसील सरधना , जिला मेरठ के गाटा सं0 328 में तीन भूखण्डों(कुल क्षेत्रफल 1447 वर्ग गज) के समायोजन के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अ0शा0प0सं0– 1149/8–3–06, दिनांक 23 मार्च, 2006 के अनुसार अपना मत प्रस्तुत किया है कि " उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 14.03.02 मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3.8.98 का परीक्षण शासन स्तर पर अपेक्षित है अतः समायोजन के प्रस्ताव पर सहमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। समायोजन की शासन की नीति नहीं है।"

उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस भूमि की धारा–4 व 6 की विज्ञप्ति निर्गत हो चुकी है तथा जिस भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है, उसके अर्जनमुक्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर कमेटी गठित करके नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने पर यथाशीघ्र विचार कर लिया जाये।

मद सं0–6

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना के लिए ग्राम रिठानी के गाटा सं0 1034, 1035 व 1037 को अर्जनमुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अ0शा0प0सं0–1149/8–3–06, दिनांक 23 मार्च, 2006 के अनुसार अपना मत प्रस्तुत किया है कि "प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण बोर्ड का अभिमत प्राप्त होने पर शासन

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

स्तर पर परीक्षणोंपरान्त आवश्यक कार्यवाही के निर्देश मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्गत किये जायेगें। प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है।''

उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस भूमि की धारा–4 व 6 की विज्ञप्ति निर्गत हो चुकी है तथा जिस भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है, उसके अर्जनमुक्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। ऐसे मामलों में मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर कमेटी गठित करके नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने पर यथाशीघ्र विचार कर लिया जाये।

मद सं0–7

श्रद्धापुरी आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम दांतल की भूमि खसरा सं0 80 की लगभग 540 वर्ग मी0 भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अ0शा0प0सं0– 1149/8–3–06, दिनांक 23 मार्च, 2006 के अनुसार अपना मत प्रस्तुत किया है कि '' प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयोपरान्त न्याय विभाग के परामर्श से शासन के मार्गदर्शन से अपेक्षित काग्रवाही की जानी उचित होगी। समायोजन की शासन की नीति नहीं है।''

उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस भूमि की धारा–4 व 6 की विज्ञप्ति निर्गत हो चुकी है तथा जिस भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है, उसके अर्जनमुक्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर कमेटी गठित करके नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने पर यथाशीघ्र विचार कर लिया जाये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0–8

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना के अन्तर्गत अनार्जित ग्राम रिठानी खसरा सं0 438 क्षेत्रफल 0–5–0 बीघा(756.25 वर्ग मी0) भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित काश्तकार से वार्ता कर उक्त भूमि को नियमानुसार खरीदने पर विचार कर लिया जाये। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अ0शा0प0सं0–1149/8–3–06, दिनांक 23 मार्च, 2006 को भी ध्यान में रखा जाये।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया है।

(मोहिन्दर सिंह)	(राम कृष्ण)	(सतीश कुमार)
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी, मेरठ	सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ